

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(प्रशासन शाखा)

क्रमांक: GA/1076/27/प्रशासन/विधि/2020/डी-1126

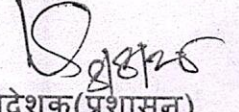
दिनांक: ०४.08.2025

अग्रसारित

निम्नलिखित पत्रों की प्रति सूचनार्थ एवं आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती जाती है:-

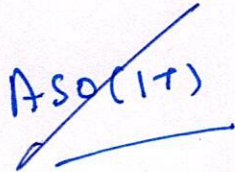
क्र.सं.	विभाग का नाम	परिपत्र सं. और तारीख	विषय
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कला, संस्कृति एवं भाषा विंग, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-02	फा.स.5(01) 2025-2026-क्र. सं. एवं भाषा / पा0फ़ा0 / 1552-1632 दिनांक -25.07.2025	'हिंदी दिवस' 14 सितंबर, 2025 के अवसर पर माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली का संदेश।

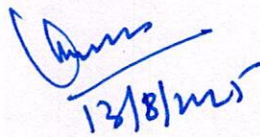
संलग्न:ऊपरोक्त अनुसार -

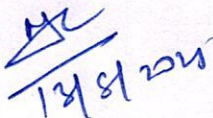

उप निदेशक(प्रशासन)

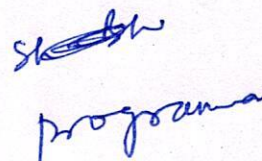
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसारित:-

1. निजी सचिव(मुख्य कार्यकारी अधिकारी), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत।
2. निजी सचिव/ सदस्य(प्रशा./इंजी./वित्त) सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत।
3. सभी अधीक्षण अभियंता/अधिकाधीन अभियंता /समन्वयक।
4. सभी प्रधान निदेशक/निदेशक/उप निदेशक(दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड)।
5. बजट और निधि अधिकारी/ उप मुख्य लेखा-1&II।
6. सक्षम प्राधिकारी, तीस हजारी न्यायालय।
7. उप निदेशक(आईटी/सिस्टम)-दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड करें।
8. कार्यालय प्रति/गार्ड फाईल।


Aso(17)


13/8/25


13/8/25


Programma

(IP) R-1938/88. Dir. (Admn.) 25
01.08.25

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
छठा तल, बी-बिंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।

(IP) Diary No. P 1424
01/08/25
Date
O/o the C.E.O. (DUSIB)
G.N.C.T. of Delhi

दिनांक: 25/07/2025

फा.सं० 5(01) 2025-2026-क0सं० एवं भाषा/पा0फा0/ 1552-1632

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली.

विषय: "हिन्दी दिवस" 14 सितम्बर, 2025 के अवसर पर माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली का संदेश।

महोदय,

दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ स्थानीय निकायों के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने, इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने और अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में कार्य करने के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली सरकार के समस्त विभागों को समय-समय पर आवश्यक निदेश भी जारी किये जाते हैं। चूंकि दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 में हिन्दी को दिल्ली की प्रथम राजभाषा घोषित किया गया है, अतः आवश्यक है कि जनसाधारण से सीधे सरोकार रखने वाले समस्त सरकारी कार्य राजभाषा हिन्दी में ही किये जाने चाहिए।

अतः 14 सितम्बर, 2025 को "हिन्दी दिवस" के अवसर पर मुख्य सचिव, दिल्ली के संलग्न संदेश को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे अपने विभाग में हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने और अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के प्रति प्रेरित करने हेतु "हिन्दी दिवस" का आयोजन करें तथा अधिकाधिक उत्साहपूर्वक हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पखवाड़ा मनायें। सभी विभागों से यह भी अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न सूक्तियों का अधिक से अधिक प्रयोग करवाया जाये।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

फा.सं० 5(01) 2025-2026-क0सं० एवं भाषा/पा0फा0/ 1552-1632

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वयन समिति जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, तीस हजारी, दिल्ली।
6. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-01।
7. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली।
8. दिल्ली सरकार के समस्त स्वायत्त निकाय/निगम, दिल्ली/नई दिल्ली।
9. दिल्ली सरकार के अंतर्गत समस्त समितियाँ/बोर्ड/परिषद्/संगठन, दिल्ली/नई दिल्ली।
10. कला, संस्कृति एवं भाषा की वेबसाइट पर उपलोड करने के संदर्भ में।

(डॉ० रश्मि सिंह)
सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

दिनांक: 25/07/2025

उप-सचिव/लिंक अधिकारी (कला, संस्कृति एवं भाषा)

Sh. R. Singh

AD (Admn.)

18
5/8/25